# राजस्थान सरकार
## शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 1(7)शिक्षा–1/साई.वि.यो./2009 पार्ट–VII जयपुर, दिनांक :– 21/06/2022

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा संख्या 55 के अनुसरण में आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की छात्राओं को **साईकिल वितरण योजना एवं मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना** की क्रियान्विति हेतु दिशा–निर्देश बाबत्।

संदर्भ :– शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर का पत्रांक एफ.11()/बजट घोषणा 22–23/ईडब्लयू कोष/डीडीबीसी/सान्याआवि/2022/1485 दिनांक 18.04.2022 एवं आपका पंत्राक शिविरा/माध्य/छात्रवृत्ति/सेल–डी/ब.घो.55/मु.शि.अलंकार पु.यो./2022–23 दिनांक 31.05.22

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा संख्या 55 के अनुसरण में आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की छात्राओं को **निःशुल्क साईकिल वितरण एवं मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना** के संबंधं में विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

उक्त योजनाओं के संबंध में लाभार्थियों तक सीधा लाभ पहुचाने के लिए प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र/दिशा–निर्देश दिनांक 14.06.2022 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

उपरोक्त योजनाओं का संचालन आगामी वित्तीय वर्षों में भी दिशा–निर्देशानुसार जारी रखा जायेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(भारतेन्द्र जैन)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : –

1. विशिष्ठ सहायक, शिक्षा मंत्री महोदय, राज0,जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, राज0,जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एंव पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एंव पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग, जयपुर।
8. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
10. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
11. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
12. शासन उप सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार मौर्य)
उप निदेशक (मू.)

Scanned by CamScanner

# आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की छात्राओं को साईकिल वितरण योजना

## दिशा–निर्देश

| | | |
|---|---|---|
| 1 | योजना का नाम | आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की छात्राओं को साईकिल वितरण |
| 2 | योजना | आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को आगे अध्ययन जारी करने हेतु घर से विद्यालय आने–जाने के लिए निःशुल्क साईकिल वितरण की जावेगी। |
| 3 | योजना कियान्वयन विभाग | निदेशालय,माध्यमिक शिक्षा,बीकानेर। |
| 4 | योजना कियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी | निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,बीकानेर (विभागीय नोडल अधिकारी) |
| 5 | पात्रता | • कक्षा 06 से 08 तक की छात्राओं को जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक 1.00 लाख रूपये से कम हो को वरियता के आधार पर देय होगी।<br>• आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की ऐसी छात्राएं जो राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना या अन्य किसी भी साईकिल वितरण योजना के तहत लाभान्वित हो चुकी हो, इस के लिये पात्र नहीं होंगी । इसके लिये छात्राओं से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावेगा।<br>• प्रत्येक कक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली वरीयता के अनुसार चयनित छात्राएँ पात्र होगीं।<br>• अन्तिम स्थान पर एकाधिक छात्राएँ आने पर कमशः अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिन्दी में अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा पात्र होगी। इन दोनों विषयों में भी अंक समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाये (जिस विधार्थी की आयु अधिक है उसे पहले वरीयता में शामिल किया जायेगा) |

Scanned by CamScanner

<table>
<tr><td>6</td><td>लाभान्वितो की संख्या</td><td>कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत कुल 5800 छात्राओं को निम्नानुसार साईकिल वितरण किया जावेगाः–
<table>
<tr><th>कक्षा</th><th>लाभान्वितो की संख्या</th></tr>
<tr><td>6</td><td>1933</td></tr>
<tr><td>7</td><td>1933</td></tr>
<tr><td>8</td><td>1934</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>5800</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7</td><td>आवेदन व चयन की प्रक्रिया</td><td>कक्षा 06 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से ऑनलाईन आवेदन (शाला दर्पण के माध्यम से) लिया जायेगा (प्रपत्र संलग्न)। जिसे संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित कर सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी,मुख्यालय को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा द्वारा पूरे जिले के आवेदन पत्र संकलित कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को अग्रेषित करेगे। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा राज्य के समस्त आवेदन पत्रों में से पात्र विद्यार्थियों का चयन कर निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जावेगी।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>आवेदन पत्र के संलग्न आवश्यक दस्तावेज :</td><td>• छात्रा का जनआधार कार्ड।<br>• आय प्रमाण पत्र (वर्ष 2022–23 हेतु)<br>• आगामी वर्ष (2021–22 के पश्चात्) के लिए अंक तालिका<br>• शपथ पत्र</td></tr>
<tr><td>9</td><td>देय लाभ</td><td>निःशुल्क साइकिल</td></tr>
</table>

**परिशिष्टः– क ऑन लाईन आवेदन पत्र**

Scanned by CamScanner